<u>निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ</u>

पत्रांक– 1035 /बा0वि0परि0/स्निप/2016–17 दिनॉक: 27 सितम्बर, 2016

जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,

अलीगढ़, इलाहाबाद, औरया, आजमगढ़, बागपत, बॉदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर,चन्दौली, चित्रकूट, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर,हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, झॉसी, अमरोहा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफफरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहॉपुर, संतकबीरनगर, संतरविदास नगर, <u>सिद्धार्थनगर तथा उन्नाव।</u>

विषय–आई0एस0एस0एन0आई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम हेतु अग्रिम आहरण की <u>स्वीकृति।</u>

पत्र के साथ संलग्न शासनादेश संख्या–2799/60–2–16–2/3(6)/13 दिनॉक 27.09.2016 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र पर रू0 250.00 प्रतिमाह की दर से माह सितम्बर–2016 में एक समुदाय आधारित गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि का अग्रिम आहरण करते हुये संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्री एवं मातृ समिति की अध्यक्षा के संयुक्त बैंक खातें में प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अग्रिम धनराशि आहरित कर ट्रांसफर करते हुये भारत सरकार एवं निदेशालय से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम आदि का सुचारू संचालन करना सुनिश्चित कराये। भारत सरकार के पत्र दिनॉक 19.04.2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि समुदाय आधारित गतिविधियों के लिये निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्पादित किया जाये। कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये प्रत्येक कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था की जाये तथा नियमानुसार पृथक रूप से अभिलेख रखा जाये। प्रत्येक कार्यक्रम की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये

तथा प्रत्येक कार्यक्रम के बीच पन्द्रह दिन का अन्तराल अवश्य हो। इस प्रकार माह सितम्बर–2016 में एक समुदाय आधारित गतिविधि कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। ऑगनबाड़ी केन्द्र पर एक गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण के समायोजन के उपरान्त दूसरा अग्रिम आहरित किया जायेगा। अग्रिम आहरित धनराशि का समायोजन प्रतिमाह नियमानुसार समय से कराते हुये भारत सरकार से प्राप्त निर्धारित प्रारूपों पर स्तरवार सूचना संकलित कर जे0पी0सी0 (स्निप), मुख्यालय को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें तथा वित्तीय वर्ष में आहरित धनराशि का समायोजन शासनादेश में निहित शर्तो के अधीन प्रत्येक दशा में दिनॉक 31 दिसम्बर, 2016 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठॉकन संख्या: /तददिनॉक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– विशेष सचिव, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

4– ज्वाईन्ट प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (स्निप), मुख्यालय को इस आशय से कि अपने स्तर से शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही/अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

5– उपनिदेशक, मुख्यालय को इस आशय से कि संलग्नकों सहित इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

प्रेषक,

संख्या–2799/60–2–16–2/3(6)/13

गया प्रसाद कमल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1466
27.9.16

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2016

विषय: आईएसएसएनआईपी योजना के अन्तर्गत समुदाय परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम हेतु अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–914/बा.वि.परि./स्निप/2015–16, दिनांक 31.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा स्निप योजना के अन्तर्गत माह जुलाई, 2016 की 01 अवशेष समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधि (अन्नप्राशन एवं गोदभराई) को माह सितम्बर, 2016 में कराने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है:–

(1) विभाग अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त अवधि परिवर्तन पर भारत सरकार की सहमति की आवश्यकता तो नहीं है। यदि है तो अपने स्तर पर कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(2) इस हेतु अब तक जितनी धनराशि का अग्रिम आहरण किया गया है, उसका समायोजन सुनिश्चित करते हुए महालेखाकार के अभिलेखों में भी अग्रिम का समायोजन अविलम्ब करा लिया जाये तथा कृत कार्यवाही की सूचना पत्रावली पर वित्त विभाग को भी उपलब्ध करा दी जाये।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

AD(+)/ ...

भवदीय,

(गया प्रसाद कमल)
संयुक्त सचिव।

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक– /बा0वि0परि0/स्निप/2016–17 दिनॉक 27 सितम्बर, 2016

जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
अलीगढ़, इलाहाबाद, औरया, आजमगढ़, बागपत, बॉदा, बाराबंकी,
बुलन्दशहर,चन्दौली, चित्रकूट, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद,
गाजीपुर,हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, झॉसी, अमरोहा, कानपुर देहात, कानपुर नगर,
कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर,
पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहॉपुर, संतकबीरनगर, संतरविदास नगर,
सिद्धार्थनगर तथा उन्नाव।

विषय–आई0एस0एस0एन0आई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

पत्र के साथ संलग्न शासनादेश संख्या–2799/60–2–16–2/3(6)/13 दिनॉक 27.09.2016 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र पर रू0 250.00 प्रतिमाह की दर से माह सितम्बर–2016 में एक समुदाय आधारित गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि का अग्रिम आहरण करते हुये संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्री एवं मातृ समिति की अध्यक्षा के संयुक्त बैंक खातें में प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अग्रिम धनराशि आहरित कर ट्रांसफर करते हुये भारत सरकार एवं निदेशालय से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम आदि का सुचारू संचालन करना सुनिश्चित कराये। भारत सरकार के पत्र दिनॉक 19.04.2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि समुदाय आधारित गतिविधियों के लिये निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्पादित किया जाये। कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये प्रत्येक कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था की जाये तथा नियमानुसार पृथक रूप से अभिलेख रखा जाये। प्रत्येक कार्यक्रम की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये

तथा प्रत्येक कार्यक्रम के बीच पन्द्रह दिन का अन्तराल अवश्य हो। इस प्रकार माह सितम्बर–2016 में एक समुदाय आधारित गतिविधि कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। ऑगनबाड़ी केन्द्र पर एक गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण के समायोजन के उपरान्त दूसरा अग्रिम आहरित किया जायेगा। अग्रिम आहरित धनराशि का समायोजन प्रतिमाह नियमानुसार समय से कराते हुये भारत सरकार से प्राप्त निर्धारित प्रारूपों पर स्तरवार सूचना संकलित कर जे0पी0सी0 (स्निप), मुख्यालय को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें तथा वित्तीय वर्ष में आहरित धनराशि का समायोजन शासनादेश में निहित शर्तो के अधीन प्रत्येक दशा में दिनॉक 31 दिसम्बर, 2016 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठॉकन संख्या: C-1035 /तददिनॉक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4– ज्वाईन्ट प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (स्निप), मुख्यालय को इस आशय से कि अपने स्तर से शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही/अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
5– उपनिदेशक, मुख्यालय को इस आशय से कि संलग्नकों सहित इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक